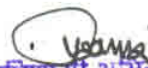


क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। (73)

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवलधार से कलचुण्डा मोटर मार्ग निर्माण।

उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित किये जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है, तथा मार्ग निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी।


अधिसूची अभियन्ता
हो -
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
प्रयोजन प्रमुख
पी.एम.जी.एस.वाई.
पत्थण्ड कर्णप्रयाग


जिलाधिकारी
जिलाधिकारी